न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 110/2015

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा

बनाम

1. दूला पुत्र मोतीलाल जाति धोबी निवासी तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए 1955

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

:–निर्णयः–

दिनांकः 29.11.2017

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा ग्राम गुढा कीरतवास तहसील दौसा वर्तमान तहसील लवाण जिला दौसा स्थित भूमि खसरा नं. 131, 132 रकबा 0.43 है0 व 0.16 है0 किस्म बारानी–3 को संवत 2003 में गैर मुमकिन नदी किस्म की भूमि होना व्यक्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के द्वारा राज्य सरकार को दिये गये निर्देशो के परिपेक्ष में पुनः उक्त प्रश्नगत भूमि को गैर मुमकिन नदी दर्ज किये जाने हेतु, यह रेफरेन्स माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में पेश किया गया। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा से स्थानान्तरण होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में पेश हुआ।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम गुढा कीरतवास तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नं. 131 व खसरा न. 132 भूमि बन्दोबस्त अभिलेख 2041–60 के अनुसार खसरा नं. 46 से

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

बने है तथा खसरा नं0 46 भूमि एकीकरण अभिलेख संवत 2018 के अनुसार खसरा नं0 189, 193, 199, 202, 227, 229 व 204 से बना है। उक्त भूमि खसरा नं. 189, 193, 199, 202, 227, 229 व 204 संवत 2003 में गैर मुमकिन नदी, दर्ज रिकार्ड थी। वादग्रस्त आराजी जरिये उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 20.06.89 के द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं0. 131 व 132 रकबा 0.43 है0 व 0.16 है0 ग्राम गुढा कीरतवास ग्यारसा पुत्र मंगला रैगर निवासी रजवास को आवंटन की गई थी। जो नामान्तरकरण सं. 35 दिनांक 17.09.89 द्वारा ग्यारसा पुत्र मंगला के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई तथा नामान्तरकरण्रा सं. 144 दिनांक 10.5.2000 द्वारा खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई। वर्तमान में उक्त अराजी भूमि खसरा नं. 131 व 132 रकबा 0.43 है0 व 0.16 है0 अप्रार्थी दूला पुत्र मोतीलाल जाति धोबी साकिन तूंगा के नाम दर्ज रिकार्ड है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणो को निरस्त कर गैर मुमकिन नदी, नला भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश दिये है। अतः प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं आर.एल.आर एवं 232 आर.टी.ए. 1955 के तहत प्रस्तुत रैफरेंस स्वीकार कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियो को निरस्त कर दिनांक 15.08.1947 की प्रविष्टियों को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार दौसा एवं हल्का पटवारी रिपोर्ट मात्र के आधार पर यह प्रकरण रैफरेंस योग्य बनाया है जो कानून अवैध है। उक्त भूमि कभी भी नदी, नाला, तालाब गैर मुमकिन नही रही। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 की परिधि मे यह प्रकरण नही बनता है। प्रकरण में राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त भूमि का आवंटन किया गया है जो वैध एवं नियमानुसार आवंटन हुआ है। प्रार्थी द्वारा उस पर कृषि काश्त करते हुए लम्बा अरसा बीत चुका है। प्रार्थी द्वारा अगाध मेहनत एवं पैसा लगाकर कृषि योग्य किया गया है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज कर उक्त आवंटन को यथावत रखने के आदेश फरमावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि खसरा नं. 189, 193, 199, 202, 227, 229 व 204 संवत 2003 में गैर मुमकिन नदी, दर्ज रिकार्ड थी। जिससे खसरा नं. 46 बना है एवं खसरा नं. 46 से भूमि बन्दोबस्त अभिलेख 2041 के अनुसार परिवर्तित खसरा नं. 131, 132 बना है। वर्तमान में उक्त प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 131 रकबा 0.43 है0 व खसरा नं. 132 रकबा 0.16 है0 अप्रार्थी दूला पुत्र मोतीलाल जाति धोबी

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

साकिन तूंगा के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गै0मु0 नदी दर्ज रेकार्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर दौसा
दौसा